



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ/2010/ 114 जयपुर, दिनांक 19-1-16
आदेश

निम्नलिखित आधिकारियों की उनके नाम के सामने अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम विकास अधिकारी	पदस्थापित पंचायत समिति का नाम	पैतृक विभाग	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री ओम प्रकाश आढा	मण्डोर (जोधपुर)	सहकारिता	31.5.2016
2.	श्री नारायण लाल जाट	रामसर (बाडमेर)	शिक्षा	30.6.2016
3.	श्री विरेन्द्र चौरे	सहाडा (भीलवाडा)	कृषि	31.6.2016
4.	श्री उगमचन्द गुर्जर	रायपुर (भीलवाडा)	शिक्षा	31.7.2016

उपरोक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में से एक अधिकारी को संभलवाकर तत्काल अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संबंधित संभागीय आयुक्त।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
11. रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जयपुर।
12. संबंधित जिला कलेक्टर।
13. संबंधित अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
14. संबंधित विकास अधिकारी।
15. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
16. प्रोग्रामर कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
17. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)